उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 26.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 26.09.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत छात्र-छात्राओं एवं महिलाओं को किया गया जागरूक...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद महोबा में *महिला सशक्तिकरण एवं महिला सुरक्षा* सम्मान हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आज दिनांक- 26.09.2025 को विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इसी क्रम में जनपद के अन्य थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा भी अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया और शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं महिला सुरक्षा से जुड़ी सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही पम्पलेट वितरित कर हेल्पलाइन नम्बरों का प्रचार-प्रसार किया गया। जिसमें क्रमशः

थाना कोतवाली नगर महोबा – विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में
थाना कबरई – कस्बा कबरई में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में एवं सार्वजनिक स्थानों में
थाना खन्ना- विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में
थाना चरखारी – कस्बा चरखारी में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में एवं सार्वजनिक स्थानों में
थाना खरेला – कस्बा खरेला के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में
थाना श्रीनगर – कस्बा श्रीनगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में
थाना पनवाड़ी – थाना पनवाड़ी के कस्बा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों में
थाना महोबकंठ – कस्बा महोबकंठ के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में
थाना कुलपहाड़ – विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में
थाना अजनर – विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में
महिला थाना – विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में

इस दौरान महिलाओं बालिकाओं से वार्ता कर परस्पर उनकी समस्याओं को सुना गया तथा उन्हें उनके अधिकारों से संबंधित प्रमुख कानूनी प्रावधानों, *गुड टच-बैड टच*, *साइबर अपराध* से बचाव एवं विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर:-

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा, **1076 –** मा० मुख्यमंत्री हेल्प लाइन
1090 – विमेन पावर हेल्पलाइन, **1930 –** साइबर अपराध हेल्पलाइन **102 –** स्वास्थ्य सेवा,
108 – एम्बुलेंस सेवा **1098 –** चाइल्ड हेल्पलाइन, **181 –** महिला हेल्पलाइन

इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं, बालिकाओं एवं विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और हर परिस्थिति में उन्हें त्वरित सहायता उपलब्ध कराना है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 26.09.2025
महोबा पुलिस
मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांकः- 26.09.2025 को बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्री रविकांत गोंड के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 26.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कबरई की पुलिस टीम ने चोरी की घटना का किया सफल अनावरण...

चोरी की घटना कारित करने वाले 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की सम्पत्ति की गई बरामद-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक व जनपदवासियों में सुरक्षित परिवेश की भावना जागृत किये जाने के उद्देश्य से जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक-26.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कबरई श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा गठित उ0नि0 अभिनव सिंह मय हमराह कां0 कुँवर पाल के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 230/25 धारा 305/331(4) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त गयादीन पुत्र कृपाल अहिरवार उम्र करीब 31 वर्ष निवासी ग्राम धरौन थाना कबरई जनपद महोबा को ग्राम धरौन थाना कबरई जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 जोडी पायल सफेद धातु व 02 जोडी बिछुआ सफेद धातु व जामातलाशी से कुल 4620 रुपये बरामद हुआ। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बी0एन0एस0 की बढोत्तरी की गई। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 अभिनव सिंह
2. कां0 कुँवर पाल

गिरफ्तार अभियुक्त–

गयादीन पुत्र कृपाल अहिरवार उम्र करीब 31 वर्ष निवासी ग्राम धरौन थाना कबरई जनपद महोबा

बरामद सम्पत्ति–

अभियुक्त के कब्जे से 01 जोड़ी पायल सफेद धातु व 02 जोड़ी बिछुआ सफेद धातु व जामातलाशी से कुल 4620 रुपये बरामद हुआ।

साइबर हेल्प डेस्क थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम द्वारा गुम हुए मोबाइल खोजकर पीड़ितों को किया गया सुपुर्द।
“महोबा पुलिस की साइबर हेल्प डेस्क निरंतर सक्रिय”

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद स्तर पर गठित साइबर हेल्प डेस्क द्वारा निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में आज दिनांक 26.09.2025 को साइबर हेल्प डेस्क थाना कोतवाली नगर की टीम द्वारा शिकायतकर्ता वीरेन्द्र पुत्र सियाराम निवासी सलारपुरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा का realme व राधेश्याम पुत्र रमेश निवासी बम्हौरी काजी थाना कबरई जनपद महोबा का मोबाइल infnix मोबाइल फोन, जो कही गुम हो गये थे, सरकार द्वारा जारी किये गये पोर्टल ceir.gov.in से बरामद कर आज सकुशल उनके सुपुर्द किये गये, इस अवसर पर पीड़ितो द्वारा महोबा पुलिस का आभार व्यक्त किया गया।

साइबर हेल्पडेस्क टीम-

1. उ0नि0 शिवांगी प्रजापति थाना कोतवाली नगरजनपद महोबा
2. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड ए अभिषेक वर्मा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

साइबर हेल्प डेस्क से संबंधित जनहित अपील-

यदि किसी नागरिक का मोबाइल गुम/चोरी हो जाता है तो उसको ceir.gov.in पोर्टल से आम जन नागरिक ब्लाक करा सकते है, जिससे यदि किसी के द्वारा उस मोबाइल को कोई सिम डाला जाता है तो सम्बन्धित सिम की जानकारी सम्बन्धित थाने में पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हो जायेगी, जिससे आसानी से मोबाइल को रिकवर किया जा सकता है और यदि कोई साइबर धोखाधड़ी का शिकार होता है तो वह तत्काल नजदीकी थाना, साइबर हेल्प डेस्क अथवा टोल-फ्री नंबर 1930 पर संपर्क करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। साइबर हेल्प डेस्क पर सूचना देने से पुलिस को त्वरित कार्रवाई में सहयोग मिलता है और बरामदगी/निवारण की संभावना बढ़ जाती है। किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें एवं व्यक्तिगत अथवा बैंक संबंधी जानकारी अजनबियों से साझा न करें।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक–26.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कोतवाली नगर एवं जनपदीय एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम ने हत्या की घटना को अंजाम देने वाले वांछित 04 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर, कल्टीवेटर आलाकत्ल कुल्हाडी, रस्सी एवं मृतक का मोबाइल बरामद–

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री मनीष कुमार पाण्डेय एवं जनपदीय एसओजी प्रभारी श्री शिवप्रताप सिंह के संयुक्त नेतृत्व में गठित पुलिस टीमों ने पिछले दिनों हुई ग्राम काली पहाडी क्षेत्र में हत्या की घटना में पंजीकृत किये गये मु0अ0सं0 437/2025 धारा 103(1)/191(2)238 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित नामजद 04 अभियुक्तगण क्रमशः 1.अरूण सिंह राजपूत पुत्र स्व0 जयपाल राजपूत उम्र 26 वर्ष 2.दिलीप उर्फ बब्लू पुत्र स्व0 जयपाल राजपूत उम्र 30 वर्ष 3.गोकरन पुत्र स्व0 जयपाल उम्र 29 वर्ष 4.महेश कुमार राजपूत पुत्र हरगोविन्द उर्फ भूरा उम्र 26 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम कालीपहाड़ी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को मय हत्या के बाद प्रयुक्त ट्रैक्टर व कल्टीवेटर के साथ गिरफ्तारी किया गया तथा अभि0गणों की निशादेही पर आलाकत्ल कुल्हाड़ी व रस्सी व मृतक का एक अदद मोबाइल भी बरामद किया गया है बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(5) बीएनएस की बढोत्तरी करते हुए गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अरूण सिंह राजपूत पुत्र स्व0 जयपाल राजपूत उम्र 26 वर्ष 2. दिलीप उर्फ बब्लू पुत्र स्व0 जयपाल राजपूत उम्र 30 वर्ष 3. गोकरन पुत्र स्व0 जयपाल उम्र 29 वर्ष 4. महेश कुमार राजपूत पुत्र हरगोविन्द उर्फ भूरा उम्र 26 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम कालीपहाड़ी थाना कोतवाली नगर महोबा

बरामदगी... एक अदद सोनालिका ट्रैक्टर नीला रंग मय एक अदद कल्टीवेटर , आला कत्ल एक अदद कुल्हाड़ी एंव घटना मे प्रयुक्त रस्सी दो अदद टुकड़ो मे एंव मृतक का मोबाइल

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीमः-

थाना कोतवाली नगर टीम-

1. प्र0नि0 मनीष कुमार पाण्डेय थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा
2. उ0नि0 दिनेश तिवारी 3. का0 मुकेश सिंह 4. का0 अभिषेक पटेरिया

जनपदीय एसओजी टीम-

1.उ0नि0 शिवप्रताप सिंह प्रभारी एसओजी टीम महोबा
2.उ0नि0 विवेक यादव 3.कां0 दीपक वर्मा 4.कां0 रंजीत सिंह 5.कां0 निर्भय यादव
6.कां0 आशीष बघेल 7.कां0 कुलदीय यादव 8.कां0 अभिषेक दुबे 9.सत्यम सिंह जादौन

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

शस्त्र अधिनियम के अभियोग में कुल 05 आरोपी अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि एवं 1900/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 26.09.2025 को सिविल जज जू0डि0 मौदहा हमीरपुर द्वारा शस्त्र अधिनियम के 03 अभियोग में परीक्षणोपरांत नामित 05 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व 1900/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना खन्ना में पंजीकृत अभियोग 1. मु0अ0सं0 188/2005 धारा 25 शस्त्र अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्तगण-
1. राजेन्द्र पुत्र रामगोपाल निवासी चकदाहा थाना खन्ना जनपद महोबा 2.रामनारायण पुत्र रामसनेही निवासी ग्राम रतौली थाना खन्ना जनपद महोबा को जेल में बितायी गयी अवधि व प्रत्येक को 250/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

2.मु0अ0सं0 189/2005 धारा 25 शस्त्र अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्तगण- 1.रामदास पुत्र बिहारी लाल 2. चोखेलाल पुत्र बरदानी चरमार निवासीगण ग्राम रतौली थाना खन्ना जनपद महोबा को क्रमशः जेल मे बितायी गयी अवधि व 1000/- रुपये व 200/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

2.मु0अ0सं0 344/2006 धारा 25 शस्त्र अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त राजेश उर्फ कल्लू सिंह पुत्र शिवराम सिंह निवासी ग्राम पारा थाना खन्ना जनपद महोबा को जेल में बितायी गयी अवधि व 200/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

"आवश्यक वस्तु अधिनियम" से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में आरोपी अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 9,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 26.09.2025 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा "आवश्यक वस्तु अधिनियम" से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में आरोपी अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 9,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना पनवाड़ी में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 363/2008 धारा 3/7 ई. सी. एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त प्रेमचन्द्र पुत्र द्वारका प्रसाद गुप्ता निवासी मसूदपुरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को न्यायालय उठने तक की सजा व 9,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।